VARANASI FOLLOW UP REPORT April 2019



Table of Contents

Introduction	2
Data Collection	3
Findings	4
Discussion & Conclusion	9
Annexure (RTI Responses Received)	11

Introduction

The North Indian city of Varanasi, located in Gangetic plains, also known as Banaras or Kashi, has been a prominent pin on the world map, for its historical, heritage and cultural aspects. However, in the past few years, the city has been hitting national and international headlines for a new reason its staggering air pollution. According to 2018 World Health Organization (WHO) data, Prime Minister Narendra Modi's parliamentary constituency is one of the cities with the most polluted air on the planet. Varanasi ranks 3rd, close behind Kanpur topping as the world's most polluted city out of 4,300 world cities. 14 of the cities in the top 15 of this list are from India, and 4 UP cities rank in the top 10 most polluted suggesting that the high air pollution in Varanasi is a part of a national and state wide story of toxic air and neglect by authorities.

List of top polluted cities in the world

RANK	CITY	PM 2.5 LEVEL
1	Kanpur	173
2	Faridabad	172
3	Varanasi	151
4	Gaya	149
5	Patna	144
6	Delhi	143
7	Lucknow	138
8	Agra	131
9	Muzaffarpur	120
10	Srinagar	113
11	Gurgaon	113
12	Jaipur	105
13	Patiala	101
14	Jodhpur	98
15	Ali Subah Al-Salem (Kuwait)	94

Source: WHO (Link: https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/)

The Human cost of this Air Pollution comes in the form of degraded health of citizens and reduced Life Expectancy. According to a widely cited 2017 Lancet study¹ on the subject, written by a team of 76 researchers, "..the number of deaths attributable to ambient particulate matter pollution was two times higher than that of household air pollution in Uttar Pradesh and 1.4 times higher in Bihar, although with wide uncertainty ranges, consistent with the very high exposure to ambient particulate matter pollution in these states"

The report goes on to suggest that in 2017 alone, UP recorded the most deaths attributable to air pollution, with 260,028 lives lost. This is certainly disturbing news for India's most populated state with the largest number of Parliamentary constituencies.

In this context, the National Clean Air Programme (NCAP) was launched by Government of India, in January 2019, to provide a framework to the States and the Center to combat air pollution. It is a

¹ Balakrishnan, Kalpana, et al. "The impact of air pollution on deaths, disease burden, and life expectancy across the states of India: the Global Burden of Disease Study 2017." The Lancet Planetary Health 3.1 (2019): e26-e39.

response to tackle the rising levels of particulate matter, and reduce it by 20-30% in at least 102 cities by 2024. Maharashtra tops the list with 17 cities in the list, including Pune and Nagpur, while Uttar Pradesh is second with 15 cities chosen, including Lucknow and Varanasi. A city from Jharkhand, Meghalaya, Tamil Nadu and West Bengal too are in the list. Meanwhile, no cities from Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Kerala, Goa and Haryana figure in the list. It remains to be seen how effectively this plan will be implemented. The entire NCAP document can be accessed here: <u>http://envfor.nic.in/sites/default/files/NCAP%20with%20annex-ilovepdf-compressed.pdf</u>) Since January, in a recent update², the NGT has directed the CPCB to include more cities and towns in the plan which do not meet the prescribed national ambient air quality standards. The list is expected to go up to 200 cities.

Regarding Varanasi, Indiaspend.org released a report in partnership with CEED and Care4Air³, in 2016, exploring the status of air pollution in the city. The following are some key insights from the same :-

- The Central Pollution Control Board's 2015 dataset ranked Varanasi's air to be the most toxic in the country. Despite this, the city has only one online air quality monitor, capable of measuring PM2.5 and PM10, while no AQI (Air Quality Index) score is available for the city. In comparison, Delhi has over 13 online monitoring stations capable of measuring PM10 and PM2.5 and an AQI score is available every day.

-The manual air quality stations in Varanasi also reveal significant gaps in PM10 values being recorded.

Out of the 227 days for which the Air Quality Measurements were taken in 2015, the holy city reported 'Zero' good-air days, making it one of the most polluted places in the country to live in.
Heavy industrial activity in the Indo-Gangetic belt has led to rapid degradation of air quality across North Indian region.

- Industry and power plants are not the only sources. Biomass burning (seasonal), household emission (biofuel), vehicular emission, brick kilns, DG sets etc have also large contribution to air pollution in the Indo-Gangetic region.

Since November 2018, Climate Trends has been filing RTIs under the Right to Information Act 2005 to understand if the air quality situation has improved in the city and what actions are being taken by the local authorities. The subsequent sections illustrate the data collection methodology, along with the findings from this data and what it means for Varanasi's air quality.

Data Collection

The data collection for this purpose was conducted in the following three steps:-

Step 1: Obtaining the the "Action plan to control Ambient Air Pollution in Varanasi". According to a letter from UPPCB, dated 22nd May 2018, the plan was prepared by the board to improve the Air Quality in Varanasi and action items have been identified for relevant government bodies in this plan. The letter also states that a consultation meeting to implement the plan, was held on 14th May 2018, led by the District Magistrate, and attended by officials of UPPCB.

Step 2: Filing Set 1 of RTIs in second week of November 2018, with 10 local bodies/departments which had action items till November 2018.

Quoted in IndiaSpend

² Source:

<u>https://economictimes.indiatimes.com/news/environment/pollution/cpcb-is-directed-to-expand-the-list-of-cities-for-clean-air-action-plans/articleshow/68476560.cms?from=mdr</u>

³ <u>https://drive.google.com/file/d/0BxBiayERoDNRcVg1aHBDZy02b2s/view?usp=sharing</u>

⁽https://archive.indiaspend.com/cover-story/varanasi-has-indias-most-toxic-air-as-north-indian-cities-outpace-delhi-35977)

Step 3: Filing a Set 2 of RTIs in first week of February 2019, with 5 out of the 10 departments with follow up questions, including action items till January 2019.

Responsible Agency	RTI Response (set 1)	RTI Response (set 2)
RTO/RTA	No Response	No Response
Traffic Police	Response Received	No Response
Nagar Nigam	Response Received	No Response
VDA	Response Received	No Response
Police	Redirected- No	
Fonce	response	
Forest Department	Response Received	
Agriculture Department	No Response	
UPPCB	Response Received	Response Received
Mining Officer	No Response	
Jilla Panchayat	Response Received	

Below is a summary of response status for each of the RTIs filed:-

Findings

For Set 1 RTIs, following is the summary of all six responses received (See Annexure for a scan copy of responses):-

Agency	Questions asked	Response Received
Varanasi	Please provide a status report for action	(Response dated 4 th December 2018):
Nagar Nigam	that has been taken for each of the	Regarding the measures taken to ensure
(Varanasi	below points mentioned in the action	wetting of earthen pavements before
Municipal	plan for Varanasi Nagar Nigam -	sweeping to avoid road dust, the municipal
Corporation)	Road Dust (3. Measures taken to	corporation has 'water sprinkler' and
	ensure wetting of earthen pavements	'mechanical sweeping mechanism' which is
	before sweeping by water sprinkling to	used during road sweeping. Regarding the
	avoid road dust, 5. Number of trees	measures taken to avoid roadside burning
	planted so far to ensure greening of	of municipal waste the municipal
	open spaces of road, 6. measures taken	corporation responded saying - a) It is
	to avoid roadside burning of Municipal	totally banned, b) IEC activity done like
	waste)	banner publishing, poster develop, playing
	Biomass & Municipal Solid Waste	nukkad natak etc., and, c) Penalties charged
	Burning (2. Measures taken to	applied on victim - Essentially they are
	regularise check and control on staff	saying that roadside burning of waste is
	and others to avoid burning of	banned in the city and penalty is charged
	Municipal Solid Waste, 3. Measures	from violators. Alongside they are also
	taken to fine/penalise illegal dumping	conducting outreach events and targeting
	of solid waste etc. on roadside)	communication to raise awareness about
	Industries (4. Measures taken to	this issue.
	identify and remove DG sets on road	
	sides)	
	Constructions & Demolitions (2.	

	Establishment of control measures for construction materials handling, 3. Measures taken to ensure transportation of building material in closed vessels/covered trucks e.g Cement, Sand, Moran etc.) Please provide certified copies of the information requested.	
Office of SP Traffic Police	Please provide a status report for action that has been taken for each of the below points mentioned in the action plan for Varanasi Traffic Police - Vehicles (1. Extensive drives launched against polluting vehicles 2. Measures taken for preventing Parking of vehicles at non designated areas or road side) Constructions & Demolitions (3. Measures taken to ensure transportation of building material in closed vessels/covered trucks e.g Cement, Sand, Moran etc.)	(Response dated 9 th December 2018): It is the transport division's work to issue air pollution related fitness certificate for vehicles. During routine traffic inspection, if a vehicle is found without valid pollution certificate/ paper, action will be taken against it under the applicable sections of the Motor Vehicles Act 1988. In the area, where vehicles are standing on the road that lead to a situation of traffic jam are fined, ceased or summoned continuously. Traffic officers are placed on different intersections of the city to ensure smooth movement of vehicles. Vehicle interceptor and Q.R.T operated by the traffic police keep patrolling the city and reach the spot of congestion when informed, to conduct the traffic in a smooth manner. Additionally Challan/Cease/Summon notices are issued to vehicles that obstruct the flow of traffic. In above-mentioned areas, action is also taken by Traffic Constable (TC) or a Police Head Constable (HCP) who are patrolling and issue challan/cease/summon notices. The traffic jams. The municipal corporation is undertaking road-widening and flyover construction work in different parts of the city. The traffic department is taking proactive measures to ensure all possible problems are being addressed and drivers of vehicles and informed that the vehicle should be shut-down during the red signal or while waiting at a railway crossing. Masks have been distributed to Traffic personnel, to prevent them from pollution. For environmental and traffic reasons, arrangements have been made for all heavy vehicles to be routed outside the city area. Ring road work is about to get

Office of Divisional Forest Officer, Varanasi Forest Department	Please provide a status report for action that has been taken for each of the below points mentioned in the action plan for Varanasi Forest Department - Road Dust (5. Number of trees planted so far to ensure greening of open spaces of road)	completed and upon its completion vehicles coming in from different districts can take the ring road and won't have to cut across through the city to get to their destination. (Response date 11 th December 2018): A total of 5084 trees have been planted, on various different roads and in residential areas, in the year 2017-18.
UPPCB Regional Office Varanasi	Please provide information on the compliance of the notified action plan, by different agencies. Please provide a status report for action that has been taken by each of the departments as mentioned in the action plan. Please also provide details monitored by the Varanasi regional office of the UPPCB.	(Response dated 21 st December 2018): Air pollution control devices have been installed and made functional to prevent air pollution from the industries that cause air pollution. These devices are inspected frequently by the UPPCB Regional office in Varanasi. In cases where non-compliance of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, strict action is taken in a time-bound manner against those entities that are found guilty. According to the records maintained by the regional office in Varanasi, no brick kilns are established or operational within the municipal city limits of Varanasi.
Jila Panchayat	Please provide a status report for action that has been taken for each of the below points mentioned in the action plan for Varanasi Jilla Panchayat- Industries (2. Measures taken to identify brick kilns and their regular monitoring)	(Response dated 24 th December 2018): Regarding the brick kilns that are operational in the rural limits, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) is authorized to issue a permission letter to Brick Kilns. It is only upon the receipt of this permission letter, that the Jila Panchayat issues a license for operation of the brick kilns. There is a letter issued by UPPCB in this regard (Letter number 1295 / Brick Kiln / Varanasi / 2017-18, dated 12/09/2017) For prevention and control of air pollution, the Jila Panchayat is entirely dependent on the UPPCB.
Varanasi Development Authority	Please provide a status report for action that has been taken for each of the below points mentioned in the action plan for Varanasi Development Authority - Road Dust (5. Number of trees planted so far to ensure greening of open	(Response dated 5 th February 2019): For the period of 2018-19 (Until November) VDA has planted a total of 16,167 trees in different places and they also mandate all new constructions to follow the tree plantation guidelines on the site, as applicable. For the development area that

spaces of road)	comes under VDA, the authority has
Constructions & Demolitions (1.	constituted an enforcement team that
Measures taken to ensure enforcement	monitors the given permissions for building
of construction and demolition rules, 2.	constructions. This team monitors the
Establishment of control measures for	construction site and ensures that all
construction materials handling, 3.	guidelines under the Uttar Pradesh Urban
Measures taken to ensure	Planning and Development Act, 1973 are
transportation of building material in	being followed. In case of non-compliance,
closed vessels/covered trucks e.g	they act under the relevant points of the act
Cement, Sand, Moran etc.)	and undertake sealing/demolition wherever
	needed, after the hearing process. VDA also
	makes sure that NGT orders are being
	followed for any construction in the VDA
	limits for the city. Recently, they have
	issued orders to different agencies
	regarding the implementation of
	environment related orders passed and
	mechanisms to check pollution.
	1

In addition to the set 1 RTIs responses listed above, we received a response for one of the set 2 RTI. We asked the UPPCB regional office in Varanasi in a 2-part RTI, the following:-

Part 1: Please provide information on the following as monitored by the Varanasi regional office of the UPPCB, for the period Jan 2017- Jan 2019 :-

a. What are the best practices that are followed under section 3 & 5 of the Environmental Protection Act, 1986 and the Comprehensive Action Plan(CAP) for air pollution.

a.1) number of units following the best practices

- b. Among the choice of fuel used at Brick Kiln site, what percentage is coal, pit coke and biomass
 b.1) If coal is being used, Kindly mention the type / grade of coal used in the brikline
- c. What is the standard of Brikline available for e standard available from the UPPCB rule book
 c.1) how many of the existing Brikline units has been following the standards and how many yet between (Jan 2017 Jan 2019).operating without standards and with standards.

Part 2: Please provide information on the following as monitored by the Varanasi regional office of the UPPCB, for the period Jan 2017- Jan 2019 :-

- a). Quantity and quality of air quality monitoring happening on PM 2.5 & PM 10 in Varanasi.
- **b**). Number of existing fly ash ponds and duration of water been sprinkled by existing authorities.

c). Number of cases w.r.t open burning of waste within the city limits as recorded by UPPCB along with the number challans been issued against violators.

In response to these RTIs dated 5th February 2019, the UPPCB regional office Varanasi responded as follows:-

- They office rejected all but one of our queries citing RTI Uttar Pradesh rules of 2015. Their response states that the this is in line with the RTI rule 4 (2) b (v) which states that "The information sought should not be so vast that the collection thereof involves disproportionate diversion of resources affecting efficient operation of the public authority concerned"

- The one point for which they have furnished information is monthly data for PM2.5 & PM10 between January 2017 to January 2019. Our question was about the quality and quantity of PM 2.5 & PM10 monitoring which has not been answered exactly. Following is a table of the details shared:-

Month	PM 2.5	PM 10
January-17	212	318
February-17	136	280
March-17	111	289
April-17	83	298
May-17	69	236
June-17	51	158
July-17	32	59
August-17	37	69
September-17	50	107
October-17	91	192
November-17	181	345
December-17	256	390
January-18	134	297
February-18	118	216
March-18	100	249
April-18	71	226
May-18	67	181
June-18	62	159
July-18	35	68
August-18	37	80
September-18	46	116
October-18	91	221
November-18	177	322
December-18	206	311
January-19	158	269
Average	104	218
Min.	32	59
Max	256	390

Discussion & Conclusion

The findings offer the following insights into the Air Pollution situation in Varanasi :-

- There are now two plans which need to be implemented in Varanasi, towards control of Air Pollution. Following are the details of both:-

	National Clean Air Programme (NCAP)	Action plan to control Ambient Air Pollution in Varanasi	
Launched in	January 2019	May 2018	
Prepared by	Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)	Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)	
Scope	National Level focus	Local Level focus	
Salient	The plan proposes the following:-	The plan has action items for	
Features	 Augmenting Air Quality Monitoring Network by increasing the number of stations. Air Quality Management Plan for 100 Non-Attainment Cities Indoor Air Pollution Monitoring & Management Air Pollution Health Impact Studies Setting up Air Information Centre 	different government bodies, on the following focus areas:- - Vehicles - Road Dust - Biomass & Municipal Solid Waste burning - Industries	
	and 14 other key action items	-Constructions and Demolition	

- The Urban Local Body - Nagar Nigam - has taken some steps towards reducing road dust and curbing road side burning of garbage. However, no details have been provided about the instances and nature of violations observed.

- For the responses received, only specific questions from our RTI have been answered which suggest that most of these initiative remain on paper and there is no status update on them.

- The Traffic Police's mandate is management of Traffic and they did not furnish any response about the number of violations on Air Pollution norms by vehicles, suggesting monitoring and implementation gaps on the ground, in Varanasi.

- The forest department and the development authority in Varanasi have planted trees in different places. However a lot of trees have also been cut in the city for various infrastructure development projects in the last few years suggesting there might be no net increase in green cover to combat air pollution and the heat-island effect in the city.

- UPPCB suggests that no Brick Kilns are operational in the municipal limits of Varanasi, however the Jilla Panchayat suggests that there might be Brick Kilns operational in the peri-urban areas, the permission for which are given by UPPCB.

- Municipal boundary cannot be treated as the ecological boundary for air-pollution and it is evident that the norms are being merely seen in letter, and not the spirit of curbing air pollution.

- The PM 2.5 and PM 10 data from the last two years suggests no overall or consistent improvement in air quality.

-The following table compares the 2017-19 numbers with 2016 data and illustrates that the PM2.5 and PM 10 data for Varanasi still falls under "poor" and "very poor" categories when looked at the maximums of the last two years.

	PM 2.5		PM 10	
	(2017-19)	2016	(2017-19)	2016
Average	104	206	218	256
Min.	32	153	59	78
Max	256	999	390	553

CPCB AQI Legend:-

AQI	Remark	Color Code	Possible Health Impacts
0-50	Good		Minimal impact
51-100	Satisfactory		Minor breathing discomfort to sensitive people
101-200	Moderate		Breathing discomfort to the people with lungs, asthma and heart diseases
201-300	Poor		Breathing discomfort to most people on prolonged exposure
301-400	Very Poor		Respiratory illness on prolonged exposure
401-500	Severe		Affects healthy people and seriously impacts those with existing diseases

Based on the above, it is easy to see why Varanasi was high-up on the list of the most polluted cities in the world. Even with as not much has changed since 2016 in terms of enforcement of Air pollution norms on individual and institutional violators. For Varanasi to be able to check its alarming rates of air pollution the following steps need to be taken immediately :-

- Strict adherence to Air Pollution norms and effective monitoring and enforcement of the same.
- Establishment of monitoring and warning systems to cope with extreme air pollution episodes.
- Holding all forms of government and local authorities accountable for the degrading air quality.
- Improved Public Participation through government led transparency on data about air pollution, and encouraged public conversation on the subject.

Annexure (RTI Responses Received)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर (भदोही)

सं. सं0/Ref. 1505 (1712 गना 18-19

दिनांक/Date 14-12-18

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

विषयः--सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया हंसिका सिंह, एफ.डी.06, एच.ए.एल., सीनियर ऑफीसर इन्क्लेव, ओल्ड मदास रोड, बंगलौर के पत्र दिनांक 12.11.2018 जो कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.11.2018 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। आवेदक ने अपने पत्र द्वारा कतिपय सूचना मॉगी है, जो कि आपसे संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा--6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण आपसे सम्बंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु एतद्द्वारा अन्तरित किया जा रहा है।

अतः वाछित बिन्दुवार सूचना निर्धारित समयावधि में सूचना के अधिकार के तहत सूचना आवेदक को सीधे अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना चाहें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय

जन सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– हंसिका सिंह, एफ.डी.06, एच.ए.एल., सीनियर ऑफीसर इन्क्लेव, ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर को उनके पत्र दिनांक नवम्बर 12, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

> अभ्र जन सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी

बोत्रीय कार्यालयः आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलुपुर, वाराणसी - 221010 दूरभाषः 2275951 फैक्सः 2275951 मुख्यालयः टी. सी. 12 वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, दूरभाषः 2720828ए,2720681,2720681,772380681ए 2720831 फैक्सः 0522-2720764 ई-मेलः info@uppcb.com वेबसाइटः www.uppcb.com

नगर निंगम वाराणसी।

प्रेषक,

नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, वाराणसी।

सेवा में,

हंसिका सिंह एफ0डी0 06, हॉल ऑफिसर्स इनक्लेब, ऑल्ड मैडरस रोड, बैंगलोर 560093 मो0न0–9449528221।

पत्रांक।।/862/क0व0/2018-19

दिनांक-04·12·18

म्होदय,

आपके द्वारा मांगी गयी स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की सूचना का उत्तर निम्नवत हैं।

S.No	STATUS	STATUS REPORT AT NAGAR NIGAM VARANASI
1.	Measures taken to ensure wetting of earthen pavements before sweeping to avoid road dust.	We have: I • Water Sprinkler. • Mechanical sweeping mechanism. Which we use during road sweeping .
2.	Measures taken to avoid roadside burning of municipal waste.	 Totally banned. IEC activity done like banner publishing ,poster develop, playing nuked natak etc. Penalties charged applied on victim.

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

प्रतिलिपिः–

 अपर नगर आयुक्त को उनके पत्रांक सं0–759/ज0सू0अधि0/18–19 दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन सूचना अधिकार प्रकरण/समयबद्ध

जन सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद वाराणसी।

कृपया अवगत कराना है कि सुश्री हंसिका सिंह निवासी एफडी 06, हाल सिनियर आफिसर्स इनक्लेव, मद्रास रोड, बैगंलोर 560093, मे10न0 9449526221,, द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.11.2018 प्रस्तुत कर जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन वाराणसी से अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत मामले में आवेदिका द्वारा वाराणसी में पर्यावरण के सम्बन्ध सूचना दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- आवेदिका द्वारा मॉगी सूचना इस कार्यालय में ग्राहय न होने के कारण आवेदिका उपरोक्त द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकितः 12.11.2018 को मूल रूप में संलग्न कर जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अर्न्तगत आपको आन्तरित की जाती है । प्रश्नगत प्रकरण का सम्बन्ध आपकी शाखा से न होने की स्थिति में कृपया अपने स्तर से सर्व सम्बन्धित को उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आन्तरित करते हुये आवेदिका को नियमानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

4– अतः आवेदिका द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र दिनांकित 12.11.2018 मय अनुलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया प्रार्थना पत्र का भली–मॉति परिशीलन कर लें तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना/अभिलेखों को अपने निकट पर्यवेक्षण में एकत्र करने के उपरान्त अपने स्तर से आवेदिका को देय सूचना/अभिलेख उपलब्ध करायें।

संलग्नकः प्रार्थना–पत्र दिनाक 12.11.2018

र्जन्मजन्मिं सिंह जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन,वाराणसी।

संख्या– वीजेड–ज०सू०अ०– 366/2018 19512 दिनांकः वाराणसी , नवम्बर 26, 2018

प्रतिलिपिः—आंकिक अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन वाराणसी को आवेदिका द्वारा प्रेषित पो0आ0 सख्या 46 एफ 660882 को इस आशय से प्रेषित कि इसे नियमानुसार कोषागार में जमा कराने का कष्ट करें।

रजि0डाक

-प्रतिर्लिपिः— सुश्री हंसिका सिंह निवासी एफडी 06, हाल सिनियर आफिसर्स इनक्लेव, मद्रास रोड, बैगंलोर 560093, मे10न0 9449526221, को इस आशय से प्रेषित कि आपके प्रकरण को जन सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को आन्तरित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आप जन सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी से सूचना प्राप्त करने हेतु सम्पर्क/पत्राचार करने का कष्ट करें साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समयबद्ध सूचना न प्राप्त होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के यहाँ नियमानुसार अपील करना चाहें।

द्वारा रजिस्ट्रर्ड डाक

सुश्री हंसिका सिंह, निवासी एफडी 06 हाल सिनियर आफिसर्स इनक्लेव, मद्रास रोड, बैगंलोर ।

पिन कोड नम्बर-560093, मो0न0-9449526221

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक:12.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में आपेक्षित बिन्दुवार सूचना के सम्बन्ध में यातायात निरीक्षक वाराणसी से सूचना प्राप्त कि गयी यातायात निरीक्षक वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विन्दुवार सूचना दिनांक:09.12.2018 की एक प्रति मूल रूप से इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

वांछित सूचना सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार। संख्याःरीडर—सीओ(टी)—ज0सू०अ०—15 / 2018 दिनांकः दिसम्बर, 2018

(अर्जुन सिह) क्षेत्राधिकारी यातायात वाराणसी।

सेवा में, **क्षेत्राधिकारी यातायात,** वाराणसी।

कृपया आप अपने पृष्ठिांकित आदेश दिनांक 27.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आवेदक हंसिका सिंह , निवासी–एफ.डी. 06 एच.ए.एल. सिनियर आफिसर इक्लेव, पुराना मद्रास रोड, बंगलोर द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सुचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सुचना का बिन्दुवार विवरण निम्नवत है।

बिन्दु संख्या—01: सूचना यातायात पुलिस से सम्बन्धित नहीं है। बिन्दु संख्या—02: सूचना यातायात पुलिस से सम्बन्धित नहीं है।

वायू प्रदुषण व जाम के रोकथाम में कार्यवाही का विवरण:--

बिन्दु संख्या–01: वाहनों को वायु प्रदूष्ण सम्बन्धितफिटनेस देने का कार्य सम्भागीय परिवहन का है। यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वैध प्रदूष्ण पेपर न होने पर वाहनों के खिलाफ एम.वी.एक्ट की धाराओं में कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु संख्या—02: शहर क्षेत्र में सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर जाम की स्थिती उत्पन्न करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान/सीज/शमन की लगातार कार्यवाही की जा रही है।

विन्दु संख्या-08: शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों/तिराहों पर यातायात के सुगम संचालन हेतु यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है व यातायात पुलिस द्वारा संचालित वाहन इण्टरसेप्टर एवं क्यू.आर.टी. लगातार शहर में भ्रमणशीत रह कर शहर मे जाम की सूचना पाने पर वहां पहुचकर यातायात व्यवस्था को सुगम/सुचारू रूप से संचालित कराते है तथा साथ ही सड़क पर विधि विरूद्ध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ चालान/सीज/शमन की कार्यवाही की जाती है तथा उपरोक्त क्षेत्र में लगे टी.एस.आई/एच.सी.पी द्वारा भी भ्रमणशील रहकर चालान/सीज/शमन कार्यवाही की जाती है। यातायात पुलिस द्वारा हेल्प लाइन नम्बर 7317202020 जारी किया गया है। जिस पर जाम की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु संख्या–09:

नगर निगम द्वारा सड़को के चौड़ीकरण किया जा रहा है, जगह—जगह पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य भी प्रगती पर है। यातायात पुलिस द्वारा भी इन जगहों पर यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगा कर यथा सम्भव समस्याओं की निदान की कोशिश की जा रही है व वाहन चालकों को निर्देशित कर बताया जाता है कि रेलवे कासिंग बन्द होने के दौरान / ट्रैफिक लाइट सिंग्नल रेड होने के दौरान अपने वाहनों को बन्द रखे। यातायात कर्मियों को प्रदुषण से बचने हेतु मास्क का वितरण किया गया है।

बिन्दु संख्या–10:

वातावरणिक व यातायात की दृष्टिकोण से भारी वाहनों को शहर क्षेत्र से बाहर–बाहर संचालित करने के प्रबन्ध किये गये हैं। रिंग रोड का कार्य भी प्रगती पर है, कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात अन्य जनपदों से आने जाने वाले भारी वाहनों को रिंग रोड से ही शहर के बाहर –बाहर अपने गन्तव्य को जा सकेगे।

संख्याःरीडर / टी०आई०—ज0सू०—18 / 2018 दिनांकःदिसम्बर, 04 2018 यातायात निरीक्षक, वाराणसी।

JNS | 16

आदेश

महानगर वाराणसी में विकास कार्यों के कारण रात्रि के समय नो-इण्ट्री खुलने के पश्चात आरी वाहनों का आवागमन अत्यधिक संख्या में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि चीकाचाट-लहरताय पलाईओवर का निर्माण कार्य होने के कारण लहरतारा-केण्ट मार्ग पर भारी बाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है, जिससे रथयात्रा, सिगरा आदि रोड पर गिट्टी, मोरंग बालू, सरिया व अन्य भाग ध्वयत्व के वाहनों के आवागमन के कारण सड़कें टूट जा रही है तथा कई स्थानों पर भारी याहन गढ़हे आदि में फंस जा रहे हैं, जिसके कारण वाहनों का मार्ग निर्धारित न होने के कारण यरायर नो-इन्ट्री की अवधि रात्रि 11.00 बजे से सुबह 05.00 बजे के मध्य वाहन शहर के बाहर नहीं निकल या रहे हैं, जिसके कारण सुवह 07.00 बजे से 08.00 बजे तक शहर में भारी वाहन चलते रहते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति व दुर्घटना की आशंका सदैव बनी रहती है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महानगर वाराणसी के शहर में ना-इण्ट्री के खुलने के समय भारी वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 में प्रदत्तं अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रकार से यातायात व्यवस्था किये जाने का निर्णय

1. निम्नलिखित स्थानों 1. अमरा-अखरी, 2. डाफी, 3. मोहनसराय, रोहनियाँ, 4.चाँदपुर सं यागणवी शहर में बालू/गिट्टी/ मोरंग/पत्थर/पटिया/ लोहा/कोयला/सीमेन्ट आदि भारी चनत्व वालं सामानौं को लेकर नो-इन्ट्री के दौरान तथा रात्रि में नो-इन्ट्री खुलने पर प्रयंश करने वाले वाहनों को पूर्ण-रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। थाना प्रभारी रोइनियाँ, मिर्जामुराद, लोहता कड़ाई छे अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

- 2. भारी घनत्व वाले सामानों को लेकर नो-इन्ट्री के समय अमरा-अखरी, डाफी, मोइनसराय, रोहनियाँ, चाँदपुर से वाराणसी शहर में प्रवेश करने वाले अथवा अन्य जनपदों को बाहर जाने वाले वाहनों को कछवां रोड से कपसेठी-वाबतपुर, होकर अपने गन्तव्य की तरफ भेजा आयेगा तथा इसी रास्ते से <u>पुनः वापस</u> भी जायेंगे। <u>रात्रि में नो-इन्द्री खुलने</u> पर अमरा-अखरी, ढाफी, मोहनसराय, रोहनियाँ, चाँदपुर से वाराणसी शहर में प्रवेश करने वाले अथधा अन्य जनपदों को जाने वाले वाहनों को मोहनसराय से जन्सा, कपसेठी, बाबतपुर होकर अपने गन्तव्य की तरफ भेजा जायेगा। थाना प्रभारी रोहनियाँ, मिर्जामुराद, लोहता, फूलपुर अपने थाने से पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाते हुए भारी घनत्व के वाइनों का प्रवेश शहर वाराणसी में निर्धारित रूट-व्यवस्था के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- खाद्यान की हुलाई हेतु, डीजल/पेट्रोल ढोने वाले टैंकर, इंड/ब्रेकरी/दुग्ध ढोने वाले भारी वाहनों एवं विकास कार्यों में लगी कार्यदायी संस्थाओं के वाहनों द्वारा युलिस अधीक्षक यातायात वाराणसी से अनुमति प्राप्त किये जाने पर ही अमरा-अखरी, डाफी, मोइनसराय, रोइनियाँ, चॉदपुर से आवागमन अनुमन्य किया जायेगा। याना प्रभारी रोहनियाँ, मिर्जामुराद, लोहता कहाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

LATTER 4/18

4

यह आदेश मात्र बालू/गिट्टी/ मोरंग/पत्थर/पटिया/ लोहा/कोयला/सीमेन्ट आदि भारी घनत्व वाले सामानों को लेकर आने वाले वाहनों पर प्रभावी होगा। शेष वाहन पूर्व की मांति आवागमन कर सकेंगे।

उपरोक्त नो-इन्ट्री/भारी घनत्व के वाहनों के आवागमन हेतु प्रसावित यातायात डायवर्जन व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से आम जनमानस को सुगम यातायात संचालन मुहैया कराये जाने हेतु जनहित में लागू किया जाता है।

* उपरोक्त आदेशा/व्यवस्था का उल्लघंन करने पर मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध होगा।

समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी उपरोक्त आदेश/व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिष्टिचत करेंगे।

संख्या:रीडर/एसपीटी-53/2018 दिनांक:अक्टूबर 'ड०, 2018

(आनन्द कुलकर्णी) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।

प्रतिलिपि:-

. Berley

- 1. जिलाधिकारी वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
- 2. अपर जिलाधिकारी नगर, वाराणसी को कृपया सूचनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर/यातायात वाराणसी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4. समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद वाराणसी को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
- समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद वाराणसी को निर्देशानुसार कडाई से अनुपालन सुनिष्टिचत करने/कराने हेतु।
- यातायात निरोक्षक वाराणसी को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने हेतु प्रेषित।
- 7. ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन के पदाधिकारी को सूचनार्थ।
- 8. सी0सी0आर0/डी0सी0आर0/टैगो को समय से प्रसारित कर कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु प्रेषित।

LATTER 5/18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी त्र सं० २१२६/२-१ दिनांक <u>११-१२-१</u> अ पत्र सं0 2136/2-1

प्रेषक

पता

सेवामें

प्रभागीय वनाधिकारी/जनसूचना अधिकारी वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी वन भवन–एच.आई.जी.–36 ,अशोक विहार कालोनी फेज –1 पहड़िया वाराणसी । दूरभाष सं0 0542 2585574

> हंसिका सिंह एफ.डी. 06 एच.ए.एल.सीनियर आफिसर इन्कलेव ओल्ड मद्रास रोड बेगलूरू -560093

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित ,कमांक 52 पर पंजीकृत आपका आवेदन दिनांक 12.11..18 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.12.2018 को प्राप्त हुआ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

आंप द्वारा मॉगी गई सूचना दी जाती है जिसका विवरण निम्नवत है –

वाराणसी शहर में वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो एवं आवासीय कालोनियों में 5084 पौधों का रोपण किया गया है ।

प्रभागीय वनाधिकारी / जनसूचना अधिकारी · 🔏 वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी



सं.सं0/Ref......] 553 / ८७ न (२ जना /18 -19

दिनांक/Date..<u>२.1-12-18</u>

सेवा में,

श्री हंसिका सिंह, एफ.डी. 06 एच.ए.एल. सीनियर आफिसर्स इन्क्लेव, ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर—560093

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जनसूचना अधिकारी (कलेक्ट्रेट)/अपर नगर मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) , वाराणसी के पत्र संख्या–993/जनसूचना/2018–19 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपका आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2018 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 27.11.2018 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित एवं संचालित हैं, जिनका समय–समय पर कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षणों में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दोधी इकाईयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार वाराणसी शहर में नगर निगम की सीमान्तर्गत कोई ईंट भट्ठा स्थापित/संचालित नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(आनन्द कुमार आनन्द) क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जनसूचना अधिकारी (कलेक्ट्रेट)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), वाराणसी को उनके पत्र संख्या– 993/जनसूचना/2018–19 दिनांक 26.11.2018 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालयः आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी - 221010 दूरभाष : 2275951 फैक्स : 2275951 मुख्यालय : टी. सी. 12 वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, दूरभाष : 2720828ए 2720681, 2720867, 2720861 फैक्स : 0522-2720764 ई-मेल : info@uppcb.com वेवसाइट : www.uppcb.com

कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी।

पत्रांक 400 / जि०पं०वा० / २०१८–१९

いたの人可以のたち

A STATUTE

「「「

.11

2.4-दिनांक दिसम्बर 2018

हसिंका सिंह एफ0डी06,हाल वरिष्ठ अधिकारी,पुराना मद्रास रोड,बैगलोर, पिन कोड सं0 560093।

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आप द्वारा मॉगी गयी सूचना के सम्बन्ध में लाइसेंस लिपिक द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईट-भट्टों से फैलने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण में जिला पंचायत द्वारा कृत एक्शन प्लान से है के कम में सूचित करना है कि उठप्रठ प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा ईट –भट्टों को अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है। अनुज्ञा पत्र आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही जिला पंचायत द्वारा लाइंसस जारी किया जाता है। उनुज्ञा पत्र आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही जिला पंचायत द्वारा लाइंसस जारी किया जाता है। एंव उठप्रठ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित पंत्राक संठ 1295 / ईट भट्टा/वाराणसी/2017–18 दिनांक–12–09–2017 की छायाप्रति पत्र के साथ संग्लन है। एंव वायु प्रदूषण के नियंत्रण/रोकथाम के लिए जिला पंचायत,वाराणसी पूर्णत उठप्र0नियंत्रण बोर्ड पर निर्भर है।

24/12/18 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,वाराणसी।

कार्यालय : जनसूचना अधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

Smt. Hansika Singh add - F. DOG, HAL Senion Officers Enclave, Old Madras Road Sangalanc - 560093

पत्रांकः *।-२३*९/ वि०प्रा० / ज0सू० / 2018–19 दिनांकः <u>. 45 / 02 / 19</u> विषयः जनसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण। महोदय,

जनसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीम सूचमा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक <u>-26 /11 /19</u> (क्रमांक<u>.1-29.3</u> /2018–19 पर पंजीकृत), जो कि जन सूचना कार्यालय में दिनांक <u>-26 /11 /1.9</u> को प्राप्त हुआ था, जिसे अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्र. आर्थन (जातानप्र) को अन्तरित किया गया था। आपके आवेदन पर प्राप्त सूचना एतद्पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

रोवा में,

भवदीय

जनसूचना अधिकारी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

पत्रांक: ३३०४/ वि०प्रा० / भवन / २०१८–१९

दिनांकः 9-1-19

जनसूचना अधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

कृपया स्वकीय पत्र संख्या—1239/आर0टी0आई0 दिनांक 26.11.18 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनेयम, 2005 के अन्तर्गत श्रीमती हंशिका सिंह, FD06 HAL Senior Officers Enclave Old Madras Road Banglore 56093 के आवेदन—पत्र दिनांक 12.11.18 में 2 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जो निम्नवत है:—

बिन्दु सं0–1

0

के सम्बन्ध में अवगत कराना है के वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष, 2018–19 (नवम्बर माह) तक विभिन्न स्थानों पर 16,167 वृक्षों का रोपण किया गया है एंव समस्त प्रकृति के निर्माणों की अनुज्ञा मे भी नियमानुसार वृक्षारोपण किये जाने का प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

बिन्दु सं0-2(1)

के सम्बन्ध में अवगत कराना है के वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों की प्रदत्त अनुज्ञा के स्थल पर नियत्रंण हेतु पूर्व से ही प्रवर्तन टीम का गठन किया गया है। प्रवर्तन टीमों द्वारा स्थल पर किये जा रहे निर्माणों की स्थलीय जॉच कर अनाधिकृत निर्माणो के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सुनवाई उपरान्त नियमानुसार सीलिंग /ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु सं0-2(2)

के सम्बन्ध में अवगत कराना है की प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अर्न्तगत समस्त प्रकृति के निर्माणों की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि स्थल पर N.G.T के प्राविधानों का अनुपालन सूनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान में भी एजेन्सियों को पर्यावरण से सम्बन्धित पारित आदेशों के क्रियान्वयन एंव प्रदुषण की रोकथाम हेतु निर्धारित मैकेनिजम अपनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

बिन्दु सं0-2(3) -तदैव-

0911131119

(अनिल दुबे) सहायक अभियंता (भवन)

(सुबोध राय)

प्र0 अ0 मानचित्र



सं. सं0/Ref. 1799/157-100 -1-11/18-19

दिनांक/Date 10-2-19

सेवा में,

Hansika Singh, FD06, HAL Senior Officer Enclave, Old Madras Road, Bangalore-560093

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में। महोदय.

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2019 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2019 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ लेने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 544/43–2–2015–सू0आ0नि0 2015 (1) 2015 लखनऊ दिनांक 03.12.2015 उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध को शासित करने वाले नियम 4 (2) (ख) (5) के अनुसार मांगी गयी सूचना "इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अन्तर्ग्रस्त हो जाने के कारण सम्बन्धित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाये" प्राविधानित है। आप द्वारा मांगी गयी सूचना विस्तृत है, जिसे उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है तथा आपके आवेदन पत्र को निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(आनन्द कुमार आनन्द) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालयः आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलुपुर, वाराणसी - 221010 दूरभाष : 2275951 फैक्स : 2275951



सं. सं0/Ref. 1800/ जनस्य य-11/18-19

दिनांक/Date 10-2-19

सेवा में,

Hansika Singh, FD06, HAL Senior Officer Enclave, Old Madras Road, Bangalore 560093

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2019 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 08.02.2019 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :--

बिन्दु संख्या–2 (a) माह जनवरी, 2017 से जनवरी, 2019 तक अवधि के Pm 2-5 एवं Pm 10

- के आंकड़े संलग्न हैं।
- (b) सूचना धारित नहीं।
- (c) सूचना धारित नहीं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2019 के माध्यम से माुंगी गयी सूचनायें उपरोक्तानुसार प्रेषित हैं तथा आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय (आनन्द कुमार आनन्द) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालयः आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी - 221010 दूरभाष : 2275951 फैक्स : 2275951 मुख्यालय : टी, सी. 12 वी., विभूति खुण्ड, गोमती नगर, लखनरू - 226010, ट्रुआप, -22208281, 2220824, 2220824, 222082



Uttar	Pradesh Pollution Control Board
Continuous	Ambient Air Quality Monitoring Station : Varanasi
Moi	thly Report on PM 10 AND PM 2.5
	2017-2018-2019

Day	PM _{2.5}	PM ₁₀	
	µg/m³ µg/m³		
Jan-17	212	318	
Feb-17	136	280	
Mar-17	111	289	
Apr-17	83	298	
May-17	69	236	
Jun-17	51	158	
Jul-17	32	59	
Aug-17	37	69	
Sep-17	50	107	
Oct-17	91	192	
Nov-17	181	345	
Dec-17	256	390	
Jan-18	134	297	
Feb-18	118	216	
Mar-18	100	249	
Apr-18	71	226	Section Section of the
May-18	67	181	
Jun-18	62	159	
Jul-18	35	68	
Aug-18	37	80	
Sep-18	46	116	
Oct-18	91	221	
Nov-18	177	322	
Dec-18	206	311	
Jan-19	158	269	
			CE 02 2010
Average	104	218	
Min.	32	59	
Max.	256	390	

PF Showing bad data/maintenance or power failure on that time.All parameters values are avg of 1 day data